

2 pages

104



पूर्वांतर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०- 3-01
क्रमांक- 5 / 2017
सं० ई/9/2/नाग-5/चार

दिनांक 6-02-2017

सचिव/महाप्रबन्धक,
सचिव/आपर महाप्रबन्धक,
सभी निष्ठागारिका,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना,
पूर्वांतर रेलवे।

विषय:-7th सीपीसी (CPC) के अन्तर्गत दोहरा कार्यभरता देने के सम्बन्ध में-
स्वष्टीकरण।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या एक(ई)स्पेशल/2016/एफआर 1/1 दिनांक
18.01.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी
की जा रही है।

संलग्नक/बोर्ड का पत्र

(ए० के० सिंह)
उपमुकायि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसिएशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- महामंत्री/एससी/एसटी एवं आर्मीसी एशोसिएशन/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 5- मुकायिमी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Singh/Letter

3.2.2017 200

103

18 JAN 2017

18/1/17

cl

18/1/17

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No.F(E)Spl./2016/FR/1/1

New Delhi, Dated: 16.01.2017

The General Managers and FA&CAOs
All Indian Railways & Production Units
(As per standard list)

GM NE Railway | Gorakhpur

Subject: Clarification regarding payment of dual charge allowance under 7th CPC.

2011/17

3

Some of the Railways have sought clarification regarding grant of rate Dual Charge Allowance (DCA) on or after 01.01.2016 in view of the revision pay scales under 7th CPC pay structure.

2. In this connection, it is clarified that Dual Charge Allowance (DCA) will be admissible only in pre-revised pay scales (6th CPC)/rates of pay/ceiling up further orders, if any, in this regard.

(A.C.Jel)

Dy. Director Finance (Est)
Railway Board

Copy to: ERB-I, II, E(O)I,II, III/Railway Board.

177

25.1.17

27.1.2017